

उच्च प्राथमिक शिक्षा में जनपद अलीगढ़ के बच्चों के संवैधानिक अधिकारों का अध्ययन

सारांश

बच्चों की दुनियाँ भोली, योग्य एवं आश्रित होती है, वह जिज्ञासु, सक्रिय एवं आशावान होते हैं। उनका जीवन खुशी शान्ति एवं आनन्दप्रद होना चाहिए। यह उन्हें सीखने, खेलने व बढ़ने के लिए समय होता है। यह सब उसे सीखने के साथ बढ़ा और अपनी सम्भावनाओं को बढ़ाने में प्रयोग करते हैं। परन्तु कुछ बच्चों के लिए उनका बचपन कुछ भिन्न होता है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 की धारा 5 एवं 6,18 वर्ष के कम आयु की लड़कियों एवं 21 वर्ष की आयु के लड़कों के विवाह की अनुमति नहीं देता है। यह अधिनियम बाल विवाह की बुराईयों को दूर करने के लिए लाया गया जो कि एक गम्भीर राष्ट्रीय मुद्दा है। इसका उद्देश्य लड़कियों के उचित स्वास्थ्य व अन्य सामाजिक बुराईयों को दूर करने के लिए निहित है। यह लड़कियों को तनाव कुण्ड के साथ-साथ शिशु जन्म की गम्भीरता को भी रोकता है जो छोटी माताओं में एक सामान्य बात है। शोधार्थिनी ने सर्वे करते समय ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में इस बात को प्रचारित किया है कि उपरोक्त अधिनियम को तोड़ना कानूनी अपराध है। आप अपने प्रत्येक बच्चे को स्कूल भेजो और उन्हें पढ़ाओ तभी हमारा समाज व देश आगे बढ़ेगा।

मुख्य शब्द : भारत, संविधान, प्राथमिक शिक्षा प्रस्तावना

विमलेश

शोधार्थिनी,
शिक्षा विभाग,
मंगलायतन विश्वविद्यालय,
अलीगढ़

भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 बताता है कि— किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, रंग, लिंग, जन्म, स्थान आदि के आधार पर नहीं बांटा जा सकता है भारत के संविधान के अनुसार समानता सभी का मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी प्रकार की अस्पृश्यता निषिद्ध है।¹ वास्तव में बाल विवाह को पूर्ण रूप से रोका नहीं जा सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार— ग्रामीण भारत में 36 प्रतिशत लड़कियों का विवाह 15-19 वर्ष की आयु में कर दिया जाता है। यह प्रतिशत कुछ राज्यों में बहुत अधिक है। राजस्थान 56 प्रतिशत लड़कियों का विवाह 15 वर्ष की आयु से पूर्व ही कर दिया जाता है। जिनमें 3 प्रतिशत का विवाह 5 वर्ष की आयु होने से पूर्व एवं 14 प्रतिशत का विवाह 10 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व कर दिया जाता है। यद्यपि बाल विवाह पर रोक है फिर भी राजस्थान में हजारों बच्चों का विवाह अक्षय तृतीया या अक्षय तीज के दिन कर दिया जाता है। इस प्रकार बाल विवाह निरोधक अधिनियम का मखौल उड़ाया जाता है। यह रीति गरीब परिवारों में अधिक है सामान्यतः एक लड़की अपने माँ-बाप के पास यौवन तक ही रुक पाती है। सर्वेक्षणों के आधार पर भी कहा जा सकता है कि विगत 35 वर्ष में समाज में बाल विवाह के रीति रिवाज में कोई बदलाव नहीं आया है। अतः यह कहा जा सकता है कि संविधान अकेले बाल विवाह को रोकने में अपने आप को ही असहाय मानता है। लोगों में इस बात की सामान्य जागरूकता शिक्षा एवं मांस मीडिया के द्वारा शीघ्रता से फैलाई जा सकती है। भारत सरकार ने अपने एक आदेश के तहत प्रत्येक जन्म का पंजीकरण करने का प्रावधान किया है और संवैधानिक रूप से प्रत्येक विवाह का पंजीकरण कराने की अपेक्षा की गयी है। जिससे वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो सके।² जनपद अलीगढ़ की उच्च प्राथमिक शिक्षा के सुचारु के लिये अलीगढ़ में जल्द खुलेगा आवासीय स्कूल उत्तर प्रदेश के 14 शहर में बेघर बालकों के लिए आवासीय स्कूल खोलने और नक्सल प्रभावित जिलों में तैनात अध्यापकों को 1500 रुपये का प्रोत्साहन भत्ता दिए जाने पर सहमति बन गई है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (के.जी.बी.वी.) में कम्प्यूटर व लैंग्वेज लैब खोलना प्रस्तावित है। सर्वशिक्षा अभियान को इन प्रस्तावों से लैस 2013-14 की वार्षिक कार्ययोजना को मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने स्वीकृति देते हुए भारत सरकार

को भेजने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव मंगलवार को सर्वशिक्षा अभियान की कार्यकारिणी समिति के बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।³ उन्होंने 11892.16 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकृति देते हुए कहा है कि जिन जगहों पर उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं वहाँ इन विद्यालयों के लिए आवश्यक जमीन अधिग्रहीत किए जाने के लिए कार्यवाही की जाए। सभी प्राइमरी व उच्च प्राइमरी विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2013-14 में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली लागू की जाए। उन्होंने बताया कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गठित मीना मंच के सदस्यों को प्रशिक्षण देकर 14 जिले केन्द्रों से मीना की दुनिया कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। मुख्य सचिव ने आवासीय विद्यालयों के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए बताया है कि प्रस्तावित आवासीय विद्यालय अलीगढ़, आगरा, इलाहाबाद, बदायूं, बलिया, फिरोजाबाद, कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, महोबा, मऊ, मेरठ, वाराणसी, और हापुड़ में खोले जाएंगे। हर विद्यालय में 50 बच्चों के रहने की व्यवस्था होगी। फिलहाल इन्हें सरकारी इमारतों में संचालित किया जाएगा। सोनभद्र, चन्दौली, मिर्जापुर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के 1553 विद्यालयों में तैनात 6212 शिक्षकों को 1500 रुपये प्रतिमाह की दर से प्रोत्साहन भत्ता भी प्रस्तावित किया गया है। श्री उस्मानी एक जुलाई को निःशुल्क यूनीफार्म व पाठ्यपुस्तकें वितरित करने के आदेश देते हुए बताया कि केजीबीवी के शिक्षकों का वेतन 10 से 15 हजार करने के लिए स्टाफ के वेतन/मानदेय के लिए निर्धारित 12 लाख रुपये की जगह 25 लाख रुपये प्रति विद्यालय की दर से प्रस्तावित किया जा रहा है। छात्राओं के खाने व रखरखाव के लिए 900 रुपये की जगह 1800 रुपये प्रति बालिका, प्रतिमाह, 339 केजीबीवी में कम्प्यूटर लैब और लैंग्वेज लैब का प्रस्ताव है। 47 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में प्रवेश की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 करने के लिए अतिरिक्त भवन निर्माण की भी योजना है। उन्होंने बताया कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्काउट गाइड कार्यक्रम चलेगा।⁴ श्री उस्मानी ने बताया कि 14 बड़े शहरों व 10 जिलों के विशेष क्षेत्रों में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चित्रीकरण के लिए जून में विशेष सर्वेक्षण कराया जाएगा। इन जिलों में बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, लखमीपुर खीरी, ललितपुर, महाराजगंज, मिर्जापुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, श्रावस्ती शामिल हैं। बैठक में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार सर्वशिक्षा अभियान की राज्य परियोजना निदेशक अमृता सोनी आदि मौजूद रहे। इन विद्यालय से गरीब बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो सकता है लेकिन यह योजना जमीनी स्तर पर खरी उतरनी चाहिये।

शोध पत्र के मुख्य उद्देश्य

1. उच्चप्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में वस्तुनिष्ठ ढंग से विश्लेषण करके, उसके निराकरण के लिए वैज्ञानिक ढंग से व्यवहारिक एवं प्रयोगात्मक तरीके अपनाने को क्रियात्मक शोध कहते हैं। वस्तुतः क्रियात्मक शोध कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय सुधार हेतु किया जाता है तथा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर कार्य योजना में परिवर्तन लाया जाता है।

2. उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर की सभी समस्याओं का समाधान उच्चतर विद्यालयों पर सम्भव नहीं हो पाता है।
3. अतः उच्चप्राथमिक विद्यालय के शैक्षिक विकास के कार्य में आने वाली समस्याओं की स्वयं पहचान करने का प्रयास करना पड़ता है। उच्चप्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत शैक्षिक संवर्ग के सभी अभिकर्मी जैसे बी.आर.सी./एन.पी.आर.सी. एवं अध्यापक जो इन समस्याओं से सीधे जुड़े रहते हैं, क्रियात्मक शोध द्वारा समस्याओं का समाधान करते हैं। इसीलिए किसी कार्यक्रम/परियोजना के क्रियान्वयन में समन्वयन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
4. उच्चप्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी यह सिद्धान्त पूर्णरूपेण लागू है। स्कूल तथा समाज दोनों की भागीदारी से शिक्षा अधिक सार्थक और प्रभावशाली बनती है शिक्षा के क्षेत्र में यह समन्वयन अपने सहयोगी शिक्षकों एवं सम्बन्धित ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से ही सम्भव है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक कुशल और समक्ष बी.आर.सी. एवं एन.पी.आर.सी. की महती भूमिका होती है जिसे मूर्त रूप देने के लिए वह प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों के सहयोग और समन्वयन का दायित्व निभाता है।⁵
5. उच्चप्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु ब्लाक स्तर पर बी.आर.सी. तथा न्याय पंचायत स्तर पर एन.पी.आर.सी. केन्द्रों की स्थापना की गई है। बी.आर.सी. स्तर पर एक समन्वयक तथा दो सह समन्वयक और एन.पी.आर.सी. स्तर पर एक समन्वयक की नियुक्ति की गई है। बी.आर.सी. समन्वयक अपने शैक्षिक क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित समस्त न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के विद्यालयों का निरीक्षण एवं शैक्षिक अनुसमर्थन देते हैं।⁶ आज इनकी संख्या को डबल करने की आवश्यकता है। तभी उच्च प्राथमिक शिक्षा में सुधार हो सकता है।

शोध पत्र का महत्व

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के गुणवत्ता सुधार हेतु ब्लॉक संसाधन केन्द्र (बी.आर.पी.) तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन.पी.आर.सी.) की स्थापना एक क्रान्तिकारी कदम है। यह दोनों केन्द्र जनपद स्तर पर स्थापित जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के मार्गदर्शन में क्रियाशील हैं। साथ ही केन्द्रों के समन्वयक/सहसमन्वयक तथा प्रभारी द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु समस्त शैक्षिक गतिविधियों जैसे प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं, बच्चों की प्रतियोगिता तथा माह शैक्षिक क्रियाकलापों का नियोजन/आयोजन एवं क्रियान्वयन में मार्गदर्शन के अतिरिक्त बच्चों/शिक्षकों के पढ़ने-पढ़ाने सम्बन्धी कठिनाइयों के निराकरण में केन्द्रीय भूमिका निभाता है।⁷

आज गुणवत्ता के मामले में निजी स्कूल मामूली ही बेहतर
जनपद अलीगढ़ में बेहतर शिक्षा की चाह में अभिभावक अपने बच्चों को ज्यादा पैसा खर्च कर निजी

स्कूलों में भेज रहे हैं। लेकिन हमारा सर्वे बताता है कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी गुणवत्ता की जांच में खरे नहीं उतर रहे हैं। ये सरकारी स्कूलों के बच्चों से मामूली रूप से ही बेहतर हैं। दूसरे आज उच्चप्राथमिक बच्चों में सीखने की क्षमता घट रही है। यह प्रमाण केरल और तमिलनाडू जैसे उन राज्यों में भी देखा गया जहां 60 फीसदी बच्चे निजी स्कूलों में जाते हैं। इसलिए यह अध्ययन बताता है कि निजी स्कूलों की चमक-दमक शिक्षा की गुणवत्ता की गारंटी नहीं है। गैर सरकारी संगठन प्रथम की रिपोर्ट 'असर-2012' ग्रामीण भारत में शिक्षा की चिंताजनक तस्वीर पेश करती है। इस शोध रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूलों के पांचवी कक्षा में पढ़ने वाले 53 फीसदी और निजी स्कूलों के 60 फीसदी बच्चे ही दो अंकों के गणित के सवाल को सुलझा पाते हैं। सरकारी स्कूलों के 47 एवं निजी स्कूलों के 40 फीसदी बच्चे अक्षरों के टेस्ट में फेल हो गए। यह दर्शाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निजी स्कूल खुल तो गए हैं लेकिन वे गुणवत्ता सुधारने की बात अक्सर होती है। लेकिन इस अध्ययन का एक दूसरा पहलू भी है। यह रिपोर्ट बताती है कि पूरे देश में बच्चों के पढ़ने, सीखने की प्रवृत्ति घटी है। पांचवी के बच्चे जो दूसरी कक्षा की किताब नहीं पढ़ पाते हैं, उनका प्रतिशत 2011 में 48.2 था लेकिन 2012 में यह घटकर 46.8 रह गया। लेकिन गिरावट का यह चलन यूपी. और बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में ही नहीं है बल्कि केरल, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में भी है, जहाँ निजी स्कूलों की हिस्सेदारी सरकारी स्कूलों से ज्यादा है। यही स्थिति आज जनपद अलीगढ़ की है।⁸

निष्कर्ष

केन्द्र सरकार ने एक तरफ 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए अधिकार (आर.टी.ई.) कानून का क्रियान्वयन शुरू किया है। वहीं दूसरी तरफ सात प्रमुख राज्यों में आधी प्राथमिक व उच्चशिक्षा निजी स्कूलों के हवाले हो चुकी है। असर रिपोर्ट के ताजा आंकड़े बताते हैं कि आठ और राज्य ऐसे हैं जहाँ निजी स्कूलों की हिस्सेदारी कुछ समय में पचास फीसदी तक पहुँच जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक केरल 68, पुडुचेरी में 66 गोवा में 64 तथा तमिलनाडु में 59 फीसदी बच्चे निजी स्कूलों में जा रहे हैं। मणिपुर नागालैंड और मेघालय में यह आंकड़ा क्रमशः 56.51 एवं 50 फीसदी तक पहुँच चुका है। यह आंकड़ा शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों का है। हालांकि केरल, तमिलनाडु, गोवा जैसे राज्यों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ज्यादा अंतर नहीं रह गया है। आंकड़ों के अनुसार आठ और राज्य ऐसे हैं जहाँ प्राइमरी उच्च प्राथमिक में निजी स्कूलों में नामांकन 40 से 50 फीसदी के बीच में है। इनमें पंजाब (47) मेघालय (46), आंध्र प्रदेश (45) महाराष्ट्र एवं उत्तराखण्ड (42), कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर एवं हरियाणा (40) फीसदी तक पहुँच चुका है। यह रिपोर्ट बताती है कि प्रतिवर्ष करीब दस फीसदी की रफ्तार से निजी स्कूलों में नामांकन बढ़ रहा है। जिससे सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक की ओर बुरी स्थिति होने का खतरा है। आज की सरकारों को इस गम्भीर समस्या के समझना चाहिये और उसका उचित

समाधान करना चाहिये जिससे एक गरीब का बच्चा भी अच्छी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. ऑगनबाडी कार्यप्रशिक्षण संदर्भ पुस्तिका (आई.सी.टी.एस.) द्वितीय भाग यू.पी. वर्ष 2011, पृ. 546
2. शिक्षामित्रों एवं बी.टी.सी. प्रशिक्षण पुस्तिका पृ. 310-316
3. शिक्षामित्रों एवं बी.टी.सी. प्रशिक्षण पुस्तिका प्रथम (राज्य शिक्षा संस्थान और प्रशिक्षण परिषद) वर्ष 2011-13, पृ. 368-69
4. ऑगनबाडी कार्यप्रशिक्षण संदर्भ पुस्तिका, पृ. 586
5. रवीन्द्र अग्निहोत्री : आधुनिक भारतीय उच्च प्राथमिक शिक्षा : समस्याएँ और समाधान (राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी) वर्ष 1994, पृ. 85
6. संवाद, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा, 2015, पृ. 52-56
7. शिक्षा मित्रों एवं बी.टी.सी. प्रशिक्षण पुस्तिका वर्ष 2011-2012, पृ. 266-269
8. जे.सी. अग्रवाल : स्वतन्त्र भाषा में शिक्षा का विकास (प्रकाशक आर्य बुक डिपो 30 नाईवाला करोल बाग, नई दिल्ली वर्ष 2006, पृ. 56-64, 49, 54
9. रवीन्द्र अग्निहोत्री : आधुनिक भारतीय उच्च प्राथमिक शिक्षा, पृ. 110
10. शिक्षा मित्रों एवं बी.टी.सी. प्रशिक्षण पुस्तिका, पृ. 322
11. सुशील प्रकाश गुप्ता : भारतीय शिक्षा का इतिहास विकास एवं समस्याएँ (प्रकाशक शारदा पुस्तक भवन 11, युनिवर्सिटी रोड, इलाहाबाद (यू.पी.) वर्ष 2003, पृ. 159-163
12. जे.सी. अग्रवाल : स्वतंत्र भाषा में शिक्षा का विकास, पृ. 92
13. आनन्द जी : वेस्टेज इन प्राइमरी एजुकेशन एवं ट्राइवल, चिल्ड्रन, एजुकेशन वेस्टेज, नई दिल्ली, वर्ष 2011, पृ. 210